

आदेश की सं० और
तारीख

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर की गई
कार्रवाई के बारे में
टिप्पणी और तारीख

17.05.2018

न्यायालय, जिला दण्डाधिकारी एवं समाहर्ता, पूर्णिया

सी०सी०ए० वाद संख्या-02/2018

अपराध नियंत्रण अधिनियम 1981 की धारा-3 के अंतर्गत

राज्य बनाम अपराधकर्मी मो० मोईस

आदेश

अभिलेख उपस्थापित। विपक्षी अपराधकर्मी अनुपस्थित। प्रस्तुत वाद पुलिस अधीक्षक, पूर्णिया के पत्रांक-966/सी०आ०, दि०-28.03.2018 के द्वारा प्राप्त प्रस्ताव के आलोक में अपराधकर्मी मो० मोईस, पिता-मो० जाबुल, सा०-लखनारे, थाना-जलालगढ़, जिला-पूर्णिया वर्तमान पता- सा०-दलमालपुर, थाना-अमौर, जिला-पूर्णिया के विरुद्ध अपराध नियंत्रण अधिनियम 1981 की धारा-3 के तहत निरुद्ध करने के संबंध में प्रारंभ की गई है।

पुलिस अधीक्षक, पूर्णिया के प्रतिवेदन में वर्णित है कि कुख्यात अपराधकर्मी मो० मोईस, पिता-मो० जाबुल, सा०-लखनारे, थाना-जलालगढ़, जिला-पूर्णिया वर्तमान पता- सा०-दलमालपुर, थाना-अमौर, जिला-पूर्णिया एक पेशेवर आदतन एवं कुख्यात अपराधकर्मी है। जो एक संगठित गिरोह का सदस्य है। जो डकैती/आर्म्स एक्ट जैसे कांडों में आरोपित रहा है। उक्त अपराधकर्मी वर्तमान में जमानत पर मुक्त है। अगर इनकी गतिविधियों पर नियंत्रण नहीं किया गया तो इनके द्वारा लोक शांति भंग की जा सकती है।

इसका अपराधिक इतिहास निम्न प्रकार है :-

1. कसबा थाना कांड संख्या-28/2012 दिनांक-19.03.2012, धारा-395/397 भा०द०वि० आरोप-पत्र सं०-76/2012 दिनांक 30.06.2012
2. जलालगढ़ थाना कांड संख्या-41/2012 दिनांक-26.03.2012, धारा-395/397 भा०द०वि०, आरोप-पत्र सं०-41/2013 दिनांक 27.05.2013
3. जलालगढ़ थाना कांड संख्या-56/2012 दिनांक-03.05.2012,

जिला-पूर्णिया वर्तमान पता- सा0-दलमालपुर, थाना-अमौर, जिला-पूर्णिया को इस आदेश की प्रति तामिला कराने एवं अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु थानाध्यक्ष, अमौर को भेजें।

आदेश की प्रति पुलिस अधीक्षक, पूर्णिया के माध्यम से थानाध्यक्ष, अमौर एवं बनमनखी को भेजें। साथ ही आदेश की प्रति सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, पूर्णिया जिला को प्रेषित करें।

आदेश की प्रति जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी, पूर्णिया को भी आम जनता में प्रचार प्रसार हेतु भेजे एवं एक प्रति पूर्णिया जिला के बेबसाईट पर प्रकाशन हेतु जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, पूर्णिया को भेजें।

लेखापित एवं संशोधित

जिला दण्डाधिकारी,
पूर्णिया।

जिला दण्डाधिकारी,
पूर्णिया।

सां.पां. 1298 | विधि दि. 31.5.18 |
प्रतिलिपि थानाध्यक्ष अमौर एवं बनमनखी
को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि सभी अनुमंडल पुलिस
पदाधिकारी पूर्णिया जिला को सूचनार्थ एवं
आवश्यक डायरि प्रेषित।
प्रतिलिपि जिला सूचना
एवं विज्ञान पदाधिकारी पूर्णिया/जिला जन सम्पर्क
पदाधिकारी पूर्णिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक
डायरि प्रेषित।
प्रतिलिपि पुलिस अधीक्षक
पूर्णिया को साक्षर सूचनार्थ।

31/5/18
बरीय उपसमाप्त
जिला विधि शाखा
पूर्णिया

31/5/18